नेशनल लोक अदालत दिनांक :– 09.05.2026
समक्ष खण्डपीठ कमांक–12

//आदेश//

परिवादी द्वारा श्री राजेश बाथम अधिवक्ता उपस्थित।
अभियुक्त द्वारा श्री शुभम उपाध्याय अधिवक्ता उपस्थित।
प्रकरण परिवादी साक्ष्य हेतु नियत है।

आज परिवादी की ओर से श्री राजेश बाथम अधिवक्ता ने उपस्थित होकर परिवाद वापस लिए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया।

परिवादी की ओर से आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त एवं परिवादी का न्यायालय के बाहर आपसी राजीनामा हो गया है। इसलिए वह परिवाद पत्र को वापस लेने की अनुमति चाहते हैं तथा प्रकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

परिवादी की ओर से श्री राजेश बाथम अधिवक्ता प्रस्तुत परिवाद वापस लिए जाने हेतु स्वतंत्र है। परिवादी की ओर से प्रस्तुत उक्त आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्त अशोक को उक्त आधार पर धारा 138 एन. आई. एक्ट के तहत प्रकरण में कार्यवाही समाप्त की जाती है।

प्रकरण प्रारंभिक प्रक्रम पर होने से राजीनामा शुल्क अधिरोपित नहीं।

प्रकरण का निराकरण नेशनल लोक अदालत में हो जाने से परिवादी को न्यायालय शुल्क वापसी के संबंध में प्रमाण पत्र प्रदाय किया जावे।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में दर्ज कर अभिलेख आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत विहित समयावधि के भीतर अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

सही/–

(जितेन्द्र रावत)
पीठासीन अधिकारी,
खण्डपीठ कमांक 12
रतलाम (म.प्र.)

सही/–

(श्रीमती सुनीता वासनवाल)
अधिवक्ता सदस्य

JITENDRA RAWAT
Digitally signed by JITENDRA RAWAT
Date: 2026.05.09 16:17:43 +0530